न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0 खान
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 76/2021

प्रदीप कुमार पुत्र श्री महाबीर प्रसाद, ग्रा0पो0 बहादुरवास, वाया मण्डावा, जिला झुंझुनूं।

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 14.06.2021

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 05.05.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 76/2021 पर दिनांक 05.05.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्र कमांक पाठक/2020/1636–37 दिनांक 05.05.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक आरटीआई/2021/240 दिनांक 09.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री महाबीर प्रसाद, निवासी बहादुरवास द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के कम मे इस कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई/2021/239 दिनांक 08.06.2021 को प्रार्थी को शुल्क जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा कराने पर चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं द्वारा उनके कार्यालय के पत्रांक आरटीआई/2021/240 दिनांक 09.06.2021 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री महाबीर प्रसाद, निवासी बहादुरवास द्वारा चाही गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के कम मे उनके कार्यालय के पत्रांक आर0टी0आई/2021/239 दिनांक 08.06.2021 को प्रार्थी को शुल्क जमा कराने हेतु पत्र लिखा गया है। प्रार्थी द्वारा शुल्क जमा कराने पर चाही गई सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 14.06.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/6/21

(यू0डी0 खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

जिला कलक्टर झुंझुनूं